Member of Parliament Local Area Development Scheme

Reform Circular No.3

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

File No.C/23/2011-MPLADS

Dated 15.06.2011

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkata/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners.

Sub: Modifications in the existing MPLADS Guidelines – regarding.

The Ministry has been receiving various suggestions from the stakeholders for the last few years. Apart from suggestions, the Ministry, based on the operational experience, of implementation of the MPLAD Scheme, believes that the benefit of the scheme should reach to the people at the grass-root level. In order to ensure that the MPLADS funds can be spent timely, speedily, effectively and fruitfully throughout the country, the guidelines are proposed to be made broad based, simplified and made easily implementable. To give MPs a larger choice of projects under the MPLAD funds, the basket of eligible items is also proposed to be enlarged. Consequently, the Government of India has decided to modify the following provisions, of the existing Guidelines as under:-

(i) *Para 2.9 of the Guidelines on MPLADS, will be substituted as:*

"If an elected Member of Parliament, finds the need, to contribute MPLADS funds, to a place outside that State/UT, the MP can recommend eligible works, under these Guidelines upto a maximum of Rs.10 lakh in a financial year. Such a gesture on the part of an MP will promote national unity, harmony, and fraternity among the people, at the grass roots level. In such cases, the Nodal District Authority, will be fully responsible for coordination and other functions, bestowed on him in the Guidelines. The works Completion

Report, Utilization Certificate and Audit Certificate, for such works, will be provided by the Implementing District Authority, to the respective Nodal District Authority from whom the funds were received."

(ii) *Para 4.15 of the Guidelines on MPLADS, will be substituted as:*

"The District Authority shall release, 75% of the estimated cost of a sanctioned work in advance as a first instalment, if the implementing agency is a Government Agency, and 25% as second installment after sufficient progress has been achieved.

In case of all MPLAD works upto Rs.2 lakh being undertaken by Government Agencies, the entire amount shall be released as advance in a single installment. In cases even exceeding this amount, if the State Government rules permit giving advance of 100%, then the same would be applicable to the MPLADS work also.

In case of MPLAD works, where either the user agency or the implementing agency is private, the district authorities are authorized to release funds upto 60% of the sanctioned amount, as first installment and balance amount of 40% would be released as second/third installment as follows:-

(a) 25% after 3/4th of the work is over and

(b) Last 15% after satisfactory completion of works.

(iii) *The following may be added as a new para no. 3.25 of the existing Guidelines:-*

Ambulances/Hearse Vans are already allowed to be purchased, by the District Authority/CMO/Civil Surgeon of the District out of MPLAD funds on the recommendation of a Member of Parliament. In addition, the scope is now widened to allow operation of ambulance/hearse services through private organizations as follows:-

a) *Ambulance/Hearse vans will be purchased with the recommendation of the CMO/Civil Surgeon/District Magistrate on the proposal of the Member of Parliament;*

b) *The ownership of the ambulance/Hearse vans so purchased would rest with the District Authority/CMO/Civil Surgeon and will be under the general supervision of the CMO/Civil Surgeon. The CMO/Civil Surgeon may outsource it for running/operation for a two years period at a time to National/State level trusts/societies of repute under a management contract after following a transparent process and on the recommendation of a 3 member Committee consisting of CMO/Civil Surgeon and two other representatives of District Magistrate and duly approved by District Magistrate;*

c) *The said Trust/Society operating the ambulance/Hearse van would be responsible for maintenance, POL and driver and user charges would be fixed by the District Authority(on the recommendation of a committee) who would be responsible to ensure that the charges so fixed are reasonable and affordable for the common man;*

d) *The District Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate shall monitor the services provided, by these Ambulances/Hearses vans, to ensure maximum benefit to the public; and*

e) *Each Ambulance/Hearse van so purchased, shall have bold markings on both sides, stating as:*

'Ambulance/Hearse Van, purchased with Government of India, MPLADS Funds, contributed by..........MP.'

(iv) *Part of existing provisions in para 3.21 will be modified as:*

"Not more than Rs.25 lakh, can be spent from MPLADS fund, for one or more works of a particular Society/Trust in the lifetime of that society/trust . If a Society has already availed of MPLADS funds up to Rs. 25 lakh, no more funds can be recommended for that Society/Trust under the Scheme. An MP can recommend funds, only upto Rs.50 lakh in all, in a financial year from MPLADS funds for works to Societies/Trusts."

(v) *The following may be added as para 3.26 to the existing Guidelines:- The minimum amount sanctioned under MPLADS for any project or work should not be less than Rs. 1 lakh. However in exceptional cases such as hand pumps, solar electric lamps, Chaupals, and various equipments/instruments/ computers, it may be less.*

2. These instructions should strictly be adhered to in implementation of MPLAD Scheme.

3. This issues with the approval of Hon'ble Minister.

Yours faithfully,

(PANKAJ JAIN)
Additional Secretary

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha).
2. The Secretaries, Nodal Departments, dealing with MPLADS (All States/UTs).
3. Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. To all concerned in MPLADS Division.
6. NIC for uploading on the MPLADS Website.

सुधार परिपत्र सं.3

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
फैक्सः 23364197
ई-मेलः mplads@nic.in

फाइल सं.सी/23/2011-एमपीलैड्स

दिनांकः 15.06.2011

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर/जिला न्यायाधीश/उपायुक्त

विषयः **वर्तमान एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में संशोधन ।**

मंत्रालय को पिछले कुछ वर्षों से स्टेकहोल्डरों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हो रहे हैं । इन सुझावों के अलावा, एमपीलैड्स योजना के कार्यान्वयन के कार्यचालन अनुभव के आधार पर मंत्रालय का मानना है कि जमीनी स्तर पर लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए । पूरे देश में एमपीलैड्स निधियों का समय पर, तीव्रता से प्रभावी एवं लाभदायक रूप से व्यय सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को व्यापक आधार पर, सरलीकृत एवं आसानी से कार्यान्वयन योग्य बनाए जाने का प्रस्ताव है । सांसदों को, एमपीलैड्स निधियों के अंतर्गत परियोजनाओं का अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए पात्र मदों की बास्किट को भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है । परिणामस्वरूप भारत सरकार ने वर्तमान दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया हैः-

(i) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 2-9 के स्थान पर यह प्रावधान होगाः

"यदि चयनित सांसद उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर एमपीलैड्स निधियों के अंशदान की आवश्यकता महसूस करे, तो सांसद इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रूपए तक पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है । सांसद द्वारा किया गया इस प्रकार का कार्य जमीनी स्तर पर लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा । ऐसे मामलों में नोडल जिला प्राधिकारी, दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनको सौंपे गए समन्वय एवं अन्य कार्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे । संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी, जिससे निधियां प्राप्त की गई थीं, को इन कार्यों के लिए कार्य निष्पादन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र एवं लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।"

(ii) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.15 के स्थान पर यह प्रावधान होगाः
"यदि कार्यान्वयन एजेंसी, सरकारी एजेंसी है तो जिला प्राधिकारी संस्वीकृत कार्य की अनुमानित लागत के 75% अग्रिम को प्रथम किस्त के रूप में और पर्याप्त प्रगति हो जाने के पश्चात् 25% की दूसरी किस्त को जारी करेगा ।"

सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे 2 लाख रुपए तक के सभी एमपीलैड कार्यों के मामले में संपूर्ण राशि को एक ही किस्त में अग्रिम के रूप में जारी कर दिया जाएगा । इस राशि से अधिक राशि के मामले में यदि राज्य सरकार के नियम 100% अग्रिम देने की अनुमति देते हैं तो वे एमपीलैड्स कार्यों पर भी लागू होंगे । एमपीलैड कार्यों के मामले में जहां उपभोक्ता एजेंसी या कार्यान्वयन एजेंसी प्राइवेट है, वहां जिला प्राधिकारियों को संस्वीकृत राशि की 60% निधि प्रथम किस्त के रूप में जारी करने का प्राधिकार है और 40% की शेष राशि को द्वितीय/तृतीय किस्त के रूप में निम्नानुसार जारी किया जाएगा:-

(क) 3/4 कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् 25% एवं

(ख) कार्यों के संतोषजनक ढ़ंग से पूर्ण हो जाने के पश्चात् अंतिम 15%

(iii) निम्नलिखित को वर्तमान दिशा-निर्देशों के नए पैरा सं.3.25 के रूप में शामिल किया जाएगा:-

पहले से अनुमत्य है कि सांसद की सिफारिश पर एमपीलैड निधियों से जिला प्राधिकारी/सीएमओ/जिला के सिविल सर्जन द्वारा एंबूलेंस/शव वाहन खरीदें जाएंगें । इसके अलावा अब प्राइवेट संगठनों के माध्यम से एंबूलेंस/शव वाहन सेवाओं के कार्य चालन को अनुमति प्रदान करने से कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, जो निम्नानुसार है:-

(क) सांसद के प्रस्ताव पर सीएमओ/सिविल सर्जन/जिला न्यायधीश की सिफारिश से एंबूलेंस/शव वाहन खरीदे जाएंगे ।

(ख) खरीदे गए एंबूलेंस/शव वाहन पर स्वामित्व जिला प्राधिकारी/सीएमओ/सिविल सर्जन का रहेगा और वे सीएमओ/ सिविल सर्जन की आम निगरानी में रहेंगे । सीएमओ/सिविल सर्जन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रबंध संविदा के अंतर्गत और सीएमओ/सिविल सर्जन वाली 3 सदस्यों की समिति एवं जिला न्यायाधीश के दो अन्य प्रतिनिधियों की सिफारिश पर और जिला न्यायाधीश द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाने पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के न्यासों/सोसाइटियों के लिए एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यचालन हेतु इसे आउटसोर्स कर सकते हैं ।

(ग) एंबूलेंस/शव वाहन का कार्यचालन करने वाली उक्त न्यास/सोसाइटी, अनुरक्षण, पीओएल तथा ड्राइवर के लिए उत्तरदायी होगा तथा जिला प्राधिकारी द्वारा (समिति की सिफारिश पर) उपभोक्ता प्रभार निर्धारित किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि निर्धारित प्रभार आम आदमी के लिए उचित एवं वहन किए जाने योग्य हैं ।

(घ) जनता के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला न्यायधीश द्वारा इन एंबूलेंस/शव वाहनों की सेवाओं की निगरानी की जाएगी ।

(ङ.) खरीदे गए प्रत्येक एंबूलेंस/शव वाहन के दोनों तरफ बड़े अक्षरों में यह लिखा होगा कि: "भारत सरकार के एमपीलैड कोष से सांसद श्री------------------द्वारा प्रदत्त धनराशि से खरीदी गई एंबूलेंस/शव वाहन"

(iv) पैरा 3.21 में वर्तमान प्रावधानों के भाग का संशोधन इस प्रकार होगा:

"किसी विशिष्ट सोसाइटी/न्यास के जीवनकाल में एक या अधिक कार्यों के लिए एमपीलैड निधि से 25 लाख रुपए से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है । यदि कोई सोसाइटी पहले से एमपीलैड्स

निधि से 25 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर चुकी है तो योजना के अंतर्गत उस सोसाइटी/न्यास के लिए और अधिक निधि की सिफारिश नहीं की जा सकती है । एक सांसद, सोसाइटियों/न्यासों के कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष में एमपीलैड निधियों से कुल मिलाकर केवल 50 लाख रुपए तक की निधि की सिफारिश कर सकता है ।"

(v) निम्नलिखित को वर्तमान दिशा-निर्देशों के पैरा 3.26 के रूप में शामिल किया जाएगाः-

किसी परियोजना या कार्य के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत संस्वीकृत न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए । तथापि, हैंड पम्पों, सोलर इलैक्ट्रिक लैम्पों, चौपालों एवं विभिन्न उपस्करों/उपकरणों/कम्प्यूटरों जैसे अपवादात्मक मामलों में यह कम हो सकती है ।

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

पंकज जैन

(पंकज जैन)
अपर सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) से संबंधित नोडल विभागों के सचिव ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।